



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249132
CG-DL-E-04102023-249132

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4150]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 4150]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4321(अ).—मोबाइल उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय और वायुयान उपस्कर के विनिर्दिष्ट विषयों पर मोबाइल उपस्कर में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय के प्रोटोकॉल को 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में संपन्न हुए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन और स्वीय विधि एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अंगीकार किया गया था;

और, भारत ने 31.03.2008 को स्वीय विधि एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के पास अभिमिलन पत्र जमा करके अभिसमय और प्रोटोकॉल को हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकार किया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 14 की उप-धारा (1) के उपबंध, वायुयान, वायुयान इंजन, वायुयान ढांचा और हेलीकॉप्टरों से संबंधित अभिसमय तथा प्रोटोकॉल के अधीन संव्यवहारों, व्यवस्थाओं या करारों पर लागू नहीं होंगे।

[फा.सं. इंसोल-30/9/2020-इंसोल्वेंसी-एमसीए]

अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd October, 2023

S.O. 4321(E).—WHEREAS, the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment were adopted under the joint auspices of International Civil Aviation Organization and the International Institute for the Unification of Private Law concluded at Cape Town on 16th November, 2001;

AND WHEREAS, India, being a signatory to and having acceded the Convention and the Protocol by depositing with the International Institute for the Unification of Private Law the instruments of accession on 31.03.2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby notifies that the provisions of sub-section (1) of section 14 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), shall not apply to transactions, arrangements or agreements, under the Convention and the Protocol, relating to aircraft, aircraft engines, airframes and helicopters.

[F. No. Insol-30/9/2020-Insolvency-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.